न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओ.पी. बुनगर, I.A.S.

प्रकरण संख्या –37 / 2022 (अपील)

जीसीएसएस नं0 2022 / 120

सागर बाई उर्फ शारदा पुत्री मांग्या पत्नि प्रभूलाल जाति मेहर निवासी ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा हाल निवास डॉ0 आर.एस. मेहरा, लक्ष्मी स्कूल के सामने, सकतपुरा कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. कमलेश पुत्री रामनिवास जाति मेहर
2. पार्वती पुत्री रामनिवास जाति मेहर
3. महेन्द्र पुत्र रामनिवास जाति मेहर
4. शान्ति पत्नि रामनिवास जाति मेहर
5. देवीलाल आत्मज मांग्या जाति मेहर
   निवासीगण ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा आदेश दिनांक 12.06.1996 नामान्तकरण संख्या 129 ग्राम प्रहलादपुरा

उस्थिति

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक–18.07.022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम प्रहलादपुरा में मृतक खातेदार मांग्या फोत हो जाने से मुताबिक सजरा उसके वारिसान रामनिवास व देवीलाल पुत्रान व सागर बाई पुत्री के नाम फौती नामा0 129 दिनांक 12.6.1996 स्वीकृत किया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 30.05.2022 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि अपीलान्टा के पिता मांग्या आत्मज रामा जी के स्वर्गवास बाद अपीलाधीन फौती इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमें अपीलान्टा का बोलता नाम सागर बाई दर्ज कर दिया जो

जिला कलेक्टर
कोटा

गलत है । अपीलान्टा के सभी सरकारी दस्तावेजों में अपीलान्टा का नाम शारदा देवी दर्ज हो रहा है । अपीलान्टा को दर्ज नाम की दिनांक 4.4.2022 को जानकारी होने पर अपील पेश की गई है ।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेन्टगण की ओर से एडवोकेट ओमप्रकाश नागर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्टा के पिता मांग्या आत्मज रामा जी के स्वर्गवास बाद अपीलाधीन फौती इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमें अपीलान्टा का बोलता नाम सागर बाई दर्ज कर दिया जो गलत है । अपीलान्टा के सभी सरकारी दस्तावेजों में शारदा देवी दर्ज हो रहा है । गलत नाम के कारण अपीलान्टा को सरकारी सहायता व वित्तीय ऋण आदि प्राप्त नहीं होते है इस कारण अपीलाधीन इंतकाल में सागर बाई के स्थान पर शारदा देवी दर्ज किया जाना आवश्यक है । अपीलान्टा को दर्ज नाम की दिनांक 4.4.2022 को जानकारी होने पर अपीलान्टा ने तहसीलदार लाडपुरा कोटा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करने का आग्रह किया जिस पर उनके द्वारा नाम सही करने हेतु अपील करने की सलाह देने से अपीलान्टा द्वारा नकल का आवेदन दिनांक 6.4.2022 को कर नकल दिनांक 29.4.2022 को प्राप्त की इस प्रकार दिनांक 12.6.1996 से नकल मिलने की दिनांक 29.4.2022 को कन्डोन करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सपठित आदेश निरस्त कर अपीलान्टा का नाम सागर बाई उर्फ शारदा देवी अथवा सागर बाई के स्थान पर शारदा देवी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें । वकील अपीलान्टा द्वारा फर्द के साथ ग्राम पंचायत मवासा का प्रमाण पत्र दिनांक 13.7.2022 का पेश किया गया है ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम प्रहलादपुरा में अपीलांटा क पिता मांग्या जी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर मांग्या जी के स्वर्गवास के बाद अपीलांट व अपीलांट के भाई रामनिवास देवीलाल के नाम सम्भाग से दर्ज की गई जिसका इंतकाल नम्बर 129 दिनांक 12.6.1996 में अपीलांट का बोलता नाम सागर बाई दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट के सभी दस्तावेजों में शारदा देवी दर्ज हो रहा है । इस कारण राजस्व रिकार्ड में भी सागर बाई उर्फ शारदा देवी दर्ज किया जाना आवश्यक है । उक्त अपील को स्वीकार करने में रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है ।

5. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्टा द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तकरण संख्या 129 दिनांक 12.06.1996 के विरूद्व दिनांक 30.05.2022 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो लगभग 26 वर्ष बाद पेश की है । विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिनांक 12.6.1996 को तस्दीक हुए नामान्तकरण संख्या 129 की जानकारी 4.4.2022 को होना बताया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलान्ट द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में ठोस कारण तो अंकित नहीं किया है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा इसका खण्डन नहीं करने व अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना लिखित बहस में अंकित किये जाने से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है ।

6. मृतक खातेदार मांग्या आत्मज रामा जी के स्वर्गवास के बाद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मांग्या आत्मज रामा के फौती इंतकाल में सजरा अनुसार रामकिशन, देवीलाल पुत्र एवं सागर बाई पुत्री का नाम दर्ज किया गया, अपीलान्टा का कथन है कि सागर बाई उनका बोलता नाम है, वास्तविक नाम शारदा देवी है, तथा सभी सरकारी दस्तावेजों में भी शारदा देवी ही अंकित है । अपीलान्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत मवासा द्वारा दिनांक 13.7.2022 को प्रमाण पत्र दिया है कि जिसमें सागर बाई उर्फ शारदा देवी पुत्री मांगीलाल उर्फ मांग्या पत्नि प्रभूलाल जो कि विवाह पूर्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा व हाल निवासी सकतपुरा कोटा की निवासी होना बताया जाकर सागर बाई उर्फ शारदा देवी एक ही महिला होना प्रमाणित किया है । इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में भी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है, तथा उक्त संशोधन को उचित बताया है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 129 दिनांक 12.06.1996 ग्राम प्रहलादपुरा में अपीलान्टा के नाम की जांच कर नाम दुरूस्त करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के नाम की सही जांच करें की सागर बाई ही शारदा देवी है, इसकी पूर्णरूप से पुष्टि होने पर नाम दुरूस्ती हेतु नवीन आदेश पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/2022

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा